कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D., NARENDRA NAGAR
Phone & Fax 01378-227229 E-mail.-eepwdnarendranagar@ymail.com

पत्रांक 1632/6 एम0ओ0 दिनांक 05/09/2022

पत्र प्राप्ति की तिथि 16/9/22
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
प्राप्तकर्ता का पदनाम
कार्यालय का नाम—न0 व0 प्र0 मुनि—की—रेती

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकी रेती।

विषय — जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या—605/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु 4.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यार्वन (Online No. **FP/UK/ROAD/144340/2021**)

सन्दर्भ — भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्रांक--8बी./यू.सी.पी./06/39/2022/एफ0सी0/353 दिनांक 08.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त पत्र में वर्णित कमियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा है।

क0 स0	वन विभाग द्वारा प्रस्ताव मे लगाई गयी आपत्ति	आपत्तियों के सम्बन्ध में विभाग का प्रतिउत्तर
1	The villages along the proposed road are already well connected with more than one road. The proposed route only caters to some part of the habitation. Hence, the justification that the proposed road will benefit all the villagers does not seem to be reasonable. State Government may review the same and submit the clarification/justification in this regard.	इस मार्ग के निर्माण से ग्राम सभा हाडीसेरा, ग्राम रौन्देली,ग्राम शिवपुरी, ढाईगला सीधे लाभान्वित होगें, तथा ग्राम मटियाला व पसर मय क्यारक के लिये पार्श्व रूप से जुडनें से लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त इस मार्ग के निर्माण सें राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 58 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 94 को जोडने हेतु एक बाईपास मार्ग के उपयोग में चारधाम एंव अन्य यात्राओं के समय शिवपुरी एंव जाजल के मध्य वर्तमान स्थित मार्ग सें 34.00 कि0मी0 कम दूरी तय करनी होगी, जबकि वर्तमान में ये दूरी 57.00 कि0मी0 है।
2	The basic premise give for the construction of the proposed route is to connect NH-58 with NH-94. However, the starting point does not seem to connect with any route. State Government may submit the clarification in this regard .	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के साथ Upload KML File मात्र 7.250 कि0मी0 लम्बाई की है, मार्ग के जिस भाग में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। चूकि मार्ग शिवपुरी (एन0एच0—58) की ओर से 10.00 कि0मी0 एंव जाजल की ओर से 5.750 कि0मी0 मार्ग पूर्व में ही विभिन्न योजनाओ में निर्मित किये जा चुके है। मार्ग के सम्पूर्ण 23.00 कि0मी0 हेतु गूगल मैप की छायाप्रति संलग्नक—01 के अनुसार प्रेषित है, जिसमें मार्ग एन0एच0 —58 एव एन0एच0 —95 को जोडता है।

आर.नं. 1753/12-1
दिनांक. 19/09/2022
ह0 आर.क.
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि—की—रेती

	The proposed road which seems to be avoidable due to presence of multiple roads will lead to the further degradation of the fragile eco-system. The State Government may also justify as to how the benefits of the proposed route outweight the environmental losses considering the fact that access roads are already available for the villagers.	यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 –94 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग स0 –58 को आपस में जोडेगा। जिससे यह मार्ग चारधाम यात्रा के वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी प्रयोग किया जा सकेगा। यह क्षेत्र शिवपुरी के समीप है। जो विश्व प्रसिद्व राफ्टींग केन्द्र है। शिवपुरी में ही वर्तमान में ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर स्थिति रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी गतिमान है। इस मार्ग का निर्माण से खाडी, चम्बा, टिहरी एंव गजा आदि क्षेत्र के यात्रियो को कर्णप्रयाग अथवा दिल्ली जाने में कम समय में यात्रा करना उपलब्ध हो पयेगा। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय ग्राम वासियों के साथ–साथ पर्यटन ,चारधाम यात्रा के अतिरिक्त बरसात में जब राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 94 लैण्ड स्लाईड के कारण अवरूद्व होगा तब यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 94 के लिये एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी उपयोग किया जायेगा। मार्ग के निर्माण से शिवपुरी एंव जाजल के मध्य 34.00 कि0मी0 की दूरी कम हो जायेगी। इस प्रकार मार्ग निर्माण से होने वाले लाभ पर्यावरणीय हानियों से अधिक है।
4	It is notied that administrative approval was accorded to the project in 2014. State Government is required to re-validate the proposal after taking into consideration various projects carried out in the region during the intervening period and submit a fresh adminstrative approval after with substantial justification.	इस मार्ग की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2014 में ही प्राप्त हुई थी। प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त मार्ग से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थानन्तरण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/13565/2015 ऑन लाईन कर दिया गया था। यह प्रस्ताव दो लेन मार्ग हेतु तैयार किया गया था, जिसमें तुलनात्मक रूप से अधि वन भूमि तथा वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। अधिक वृक्ष प्रभावित होने के कारण इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त नही हो पायी । ततपश्चात वृक्षों एंव पर्यावरण को होने वाली क्षति को न्यूनतम करने हेतु मार्ग को एक लेन में निर्मित करने तथा 7.00 मी0 चौडाई में वन भूमि प्रस्ताव गठित करने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति प्राप्त होने से वर्तमान तक क्षेत्र में अन्य परियोजनाओ पर तो कार्य हुआ है, परन्तु प्रस्तावित मोटर मार्ग के विकल्प के रूप में अन्य कोई परियोजना नही बनी है। इस कारण पूर्व में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति आज भी प्रभावी है। अतः नई प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नही है।
5	Name of the proposal is mentioned as double lane motor road however a width of 7m is proposed. State Government is required to submit necessary clearfication in this regard.	इस मार्ग की स्वीकृति डबल लेन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्राप्त हुई थी। इस मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/13565/2015 इस आपत्ति के साथ निरस्त कर दिया गया कि मार्ग निर्माण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षो की स0 1269 है, जोकि बहुत अधिक है। इसके पश्चात उच्चाधिकारियों द्वारा निदेशित किया गया की मार्ग का

		निर्माण 7.00 मी0 चौडाई में किया जाये जिससे न्यूनतम वृक्ष एव न्यूनतम वन भूमि प्रभावित हो इस कारण मार्ग के निर्माण हेतु 7.00 मी0 चौडाई में ही प्रस्ताव गठित किया गया है।
	Proceedings of Sub Divisional Level Commitee meeting are not found uploaded.	पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7	Proceedings of Village Level Committee meeting Raundeli and Pasar have been submitted but name of village Shivpuri is mentioned in village wise breakup at para B 2.4. State Government is requested to remove this discrepancy and upload the correct information in this regard.	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मार्ग निर्माण में दौरान वास्तविक रूप से ग्राम सभा रौन्देली एंव ग्राम सभा पसर मय क्यारकी की भूमि ही प्रभावित होगी। जबकि मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामो में शिवपुरी भी सम्मिलित है। मार्ग निर्माण से भूमि के प्रभावित न होने के कारण ग्राम स्तरीय समिति की बैठक शिवपुरी की कार्य प्रस्तुत नही की गयी है। परा– बी 2.4 में उपरोक्तानुसार संशोधन कर दिया गया है।
8	As per DSS analysis, 3 ha area found in MDF proposed in civil soyam land. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees guidelines dt. 08.11.2017 may be submitted. State Government may submit the DGPS map, shape file of the area selected for afforestation of balance seedlings which cannot be afforested in civil soyam land identified for raising compensatory afforestation.	क्षतिपूर्ति हेतु ली गई भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। इस आश्य का प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रारूप –43 प्रस्ताव के साथ संनग्ल है। जिसमें प्रभागीय वन अधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनीकीरेती के द्वारा हस्ताक्षर किये गये।
9	The proposed area falls in the eco-sensitive zone of Rajaji Tiger Reserve. A wildlife mitigation plan to stop the human wildlife conflict of Rs 67.10 lakh is submitted. As directed and decided earlier in certain proposals of Uttarkashi division, it is requested that the amount of same will not be charged from the user agency and if required the same may be taken from NPV fund etc.	अवगत कराना है कि इस बिन्दु के सम्बन्ध में उत्तरकाशी प्रभाग के प्रस्तावों में पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार अथवा इस प्रस्ताव में सम्बन्ध में जो भी निर्देश प्राप्त होगें उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
10	In the CA scheme uploaded online is part II, number of saplings to be planted per hectare is mentioned as 410. The CA scheme is required to be reviewed as per the guidelines	ऑन लाईन की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में के भाग II में प्रतिहेक्टर रोपित वृक्षो की सं0 410 के स्थान 1000 वृक्ष प्रति हेक्टर करने के पश्चात संशोधित प्रारूप Online के दिये गये है।

	i.e. 1000 plants to be planted per hectare.	
	An estimate of Rs. 1.59 lakh is prepared for construction of RCC pillar and it has been submitted that the same will be paid to forest department. State Government is required to clarify as to which agency will construct the RCC pillars.	इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि ` 1.59 लाख मात्र की धनराशि प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी। आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण वन विभाग द्वारा ही किया जायेंगा।
12	The geologist report prepared in 2015 is submitted. State Government may uploaded a fresh geologist report.	इस मार्ग के सम्बन्ध में भू–वैज्ञानिक द्वारा वर्तमान में जारी रिर्पोट प्रस्वात में संलग्न कर दी गई है।
13	It is calculated that 1,58,688 cum of muck will be generated out of which 45,948 cum will be utilized. Instead of muck disposal scheme for balance 1,12,740 cum of debris a detailed plan of muck disposal only 52,927 cum at 5 sites in submitted. State Government is required to identify the additional land and re-submit the proposal accordingly.	मार्ग पर उत्सर्जित होने वाले मक हेतु मक डिस्पोजल परियोजना कुल 158688.00 घनमीटर हेतु पुनः गठित कर संलग्न कर दी गई है।
14	NPV is calculated at old rates. State Government is reqested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rates.	NPV की धनराशि का आंकलन के सम्बन्ध में पूर्व में ही प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एंजेन्सी द्वारा दिया जाता है कि वन विभाग द्वारा नई दरों पर की गई गणना के अनुसार ही NPV की धनराशि प्रयोक्ता ऐंजेन्सी द्वारा जमा कराई जायेगी। प्रारूप –51 के अनुसार संलग्न है।
15	A compartment wise tree enumeration list is found submitted. State Government is requested to submit the species wise summary of trees enumeration in a single chart.	species wise summary संलग्न कर दी गई है।
16	Girth wise detail of trees is uploaded at para 4 in part II does not match with with tree enumeration list given in the proposal. State Government is requested to remove this discrepancy and uploaded the correct information is this regard.	Grith wise Detail प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है। जोकि वृक्षों की गणना सूचि से मेल खाती है।
17	CA site suitability certificate uploaded in part I is not countersigned by DFO. State Government may upload the site suitability	क्षतिपूर्ति हेतु ली गई भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। इस आशय का प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रारूप –43 प्रस्ताव के साथ संलग्न है। जिसमें प्रभागीय वन अधिकारी, नरेन्द्रनगर

	ertificate of CA area duly countersigned by teh concerned DFO.	वन प्रभाग, मुनीकीरेती के द्वारा हस्ताक्षर किये गये।
	In District Profile given in Part II it is mentioned that 6512.45 ha of forest land is diverted and against which CA has been carried out on 7807.48 ha land. The CA carried out does not seem to be commensurate with the forest land diverted. This may be reviewed by the State Goverment.	सम्बन्धित बिन्दु जिलाधिकरी / वन विभाग से सम्बन्धित है।

अतः प्रस्ताव संशोधित प्रारूपों पर पुनः आपके हस्ताक्षर हेतु एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित किया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,नरेन्द्रनगर

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– 1– मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।

2– सहायक अभयन्ता (तृतीय) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,नरेन्द्रनगर